

अनुदान संख्या 72 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 72-MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2938,00,00		
पूरक	Supplementary	75944,54,00		
		78882,54,00	78847,88,86	-34,65,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			34,63,51
पूंजीगत:	Capital:			
पूरक	Supplementary	242,47,00	242,47,00	242,46,86
				-14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"			
पेट्रोलियम	Petroleum			
मू.	O.	292608.00		
पू.	S.	7594200.00	7883315.41	7883315.42
पु.	R.	-3492.59		+0.01

(I) "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता" -

(क) "घरेलू एलपीजी और पीडीएस कैरोसीन पर आर्थिक सहायता" - 1157.82 लाख रु. की बचत (270000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू एलपीजी की कम बिक्री होने के कारण हुई।

(ख) "सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा सहायता" - 978.05 लाख रु. की बचत (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एलपीजी की कम खपत होने और मार्च, 2009 के लिए लेखा परीक्षित बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता" - 1078.91 लाख रु. की बचत (15243.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मंदी और अन्य पर्यावरणीय कारकों की वजह से ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड और पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पायनियर कारपोरेशन तथा चाय बागानों द्वारा कम गैस उत्पादित किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड" - 1200.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोर्ड के पूरी तरह से कार्य न करने की वजह से स्टाफ की भर्ती न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (930.20 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत "सामान्य - तेल कंपनियों को प्रशासनिक मूल्य निर्धारण के अंतर्गत अपने दावे निपटाने के लिए अदायगी" के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 1000000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) "भारतीय तेल निगम लिमिटेड" - 171.62 लाख रु.।

(I) Under "General" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(a) "Subsidy on domestic LPG and PDS Kerosene" - saving of Rs.1157.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270000.00 lakhs) was due to less sale of domestic LPG.

(b) "Freight subsidy on retail products for far flung areas" -saving of Rs.978.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to less consumption of LPG and non-receipt of audited bill for March, 2009.

(c) "Subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region" – saving of Rs.1078.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15243.00 lakhs) was due to less upliftment by Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited and North East Electric Pioneer Corporation and tea gardens owing to economic slowdown and other environmental factors.

(B) "Other Expenditure – Petroleum Regulatory Board" - saving of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-recruitment of staff owing to board being not fully functional.

2. The above savings were partly (Rs.930.20 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1000000.00 lakhs in February, 2009 under "General – Payment to Oil Companies in Settlement of their claims under Administered Pricing" – under the following heads:-

(I) "Indian Oil Corporation Ltd." – Rs.171.62 lakhs.

- | | |
|---|---|
| (II) “हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड” - 617.50
लाख रु.। | (II) “Hindustan Petroleum Corporation Ltd.” –
Rs.617.50 lakhs. |
| (III) “भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड” - 141.08 लाख
रु.। | (III) “Bharat Petroleum Corporation Ltd.” –
Rs.141.08 lakhs. |
-